तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 65/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.6.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली पुत्र लक्ष्मण लाल माली, निवासी– लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गायत्री किराणा स्टोर, मालीवास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 16.2.2022 को फर्म गायत्री किराणा स्टोर, मालीवास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1710 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./546/Act/2022/547 दिनांक 03.3.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली को सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि उसका छोटा सा व्यापार है एवं उसने पैकिंग अवस्था में ही घी (स्वागत ब्राण्ड) क्रय किया था एवं पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है। अतः प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 16.2.2022 को फर्म गायत्री किराणा स्टोर, मालीवास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र कुमार माली पुत्र लक्ष्मण लाल माली, निवासी– लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से फर्म गायत्री किराणा स्टोर, मालीवास, रोहिडा के अन्दर आलमारी की रैक में [illegible] खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) के 21 पैक्ड पैकेट [illegible]0 एल.एल.) में से ...लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:30:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 65/2023	नम्बर व तारिख अ॰ हाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
	खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1710 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./546/Act/2022/547 दिनांक 03.3.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली ने खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली पुत्र लक्ष्मण लाल माली, निवासी– लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गायत्री किराणा स्टोर, मालीवास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी महेन्द्र कुमार माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.8.2023 को पेश हो। (के.आर. खौड़) Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2023.07.21 17:30:21 IST Reason: SelfAttested	